दिनांक 04.09.2025	
प्रेस विज्ञप्ति 06/2025	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>एस0टी0एफ0–S.S.C. (CENTRAL ORDNANCE DEPOT) में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के 05 सक्रिय सदस्य अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक दस्तावेजों सहित गिरफ्तार।</u>

दिनाकः 04–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को SSC (COD) में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 05 व्यक्तियों को अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक दस्तावेजों सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>ः–

1–धर्मवीर उर्फ धर्मा गूजर पुत्र लायक सिंह, निवासी ग्राम जलालपुर थाना फतेहाबाद आगरा।

2–देवेन्द्र सिंह पुत्र नवाव सिंह वर्मा निवासी पक्कापुरा टडावली थाना फतेहाबाद आगरा।

3–अनूप पुत्र सुनहरी लाल कोरी निवासी ग्राम खेरा भगौर पोस्ट मानखेड़ा थाना मलपुरा आगरा।

4–हरेश पाठक पुत्र सत्यप्रकाश निवासी मनखेड़ा ब्लाक अकोला थाना मलपुरा आगरा।

5–पारस चाहर पुत्र स्व0 नेत्रपाल सिंह निवासी ग्राम लाडम अकोला थाना मलपुरा आगरा।

<u>बरामदगीः–</u>

1–06 अदद मूल आधार कार्ड,

2–04 अदद मूल पैन कार्ड,

3–04 अदद फोटोयुक्त एडमिट कार्ड, आर्मी वेस वर्कशाप, प्रयागराज

4–05 अदद मूल अंकतालिका हाईस्कूल,

5–01 अदद मूल अंकतालिका इण्टरमीडिएट,

06–05 अदद मूल जाति प्रमाण पत्र,

07–04 अदद मूल निवास प्रमण पत्र,

08–01 अदद एडमिट कार्ड इलेक्ट्रिशियन 510 आर्मी वेस वर्कशाप,

09–01 अदद आईटीआई प्रमाण पत्र,

10–01 अदद आईटीआई अंकपत्र,

11–01 अदद टोकन नम्बर 381 मुहर लगा हुआ,

12–01 अदद मूल वोटर आईडी कार्ड

13–06 अदद मोबाइल फोन

14–01 अदद कार आई–20 यूपी–80डीएच 8234

15–02 अदद मो0सा0 अपाचे संख्या यूपी–80 डीई 4732 व पल्सर ब्लैक यूपी–80डीएक्स 0713

16–1130/–रूपये नकद

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–</u> अबूलाला की दरगाह के पास तिराहे पर थाना क्षेत्र न्यूआगरा आगरा समय– 00.35, दिनांक–04–09–2025

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही थी इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न इकाई को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री राकेष, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन को विकसित कर कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 आगरा टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणषील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि COD/ SSC में अस्थाई/स्थाई रूप से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य अबूलाला दरगाह के पास थाना क्षेत्र न्यू आगरा में सक्रिय है। उक्त सूचना पर निरीक्षक श्री यतीन्द्र शर्मा, उ0नि0 स0पु0 राजपाल सिंह, मु0आ0 दिनेश गौतम, मु0आ0 अरविन्द सिंह, मु0आ0 प्रशांत कुमार, मु0आ0 विमल कुमार, मु0आ0 प्रदीप यादव मु0आ0 अमित सिंह, आरक्षी प्रदीप चौधरी, आरक्षी चालक धर्मेन्द्र फौजदार एसटीएफ फील्ड इकाई आगरा की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुँच कर 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त धर्मवीर ने पूछताॅछ पर बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर आगरा के आस–पास के क्षेत्रों के युवकों को सीओडी/एसएससी/आर्मी वेस वर्कशाप से निकलने वाली भर्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेते है। कुछ भर्तियों में साल्वर बैठाकर परीक्षा पास करा देते है और कुछ में कागजों का हेरफेर कर देने है जिससे उनकी नौकरी लग जाती है। यदि किसी युवक की नौकरी न लगने पर युवक द्वारा जमा कराये गये मूल कागजात को देने की एवज में उनके द्वारा दिया गया पैसा वापस नहीं किया जाता है। अनूप, हरेश पाठक, पारस चाहर उपरोक्त द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगार युवकों को झाॅसे में लिया जाता है, जिनसे मिले पैसे में इनको हिस्सा दिया जाता है। प्रेम चन्द्र वर्मा का काम परीक्षा के समय बैठाने वाले साल्वर का इन्तजाम करना होता है। देवेन्द्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असम रायफल में सिपाही पद पर भर्ती हो गया था, जो जाॅच होने पर नौकरी छोड़कर भाग आया। धर्मवीर उर्फ धर्मा के विरूद्व पूर्व में भी थाना फतेहाबाद, आगरा में मु0अ0सं0 30/2024 धारा 419/420/467/468 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्व थाना न्यूआगरा, आगरा में मु0अ0सं0 0297/2025 धारा 318(4), 112, 341(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 800 ग्राम मॉर्फीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ लखनऊ के निर्देशन में एएनटीएफ यूनिट लखनऊ द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला 02 अन्तर्राज्यीय सक्रिय तस्कर (1) फैजुर्रहमान पुत्र अब्दुल माबूद नि0 टेरा, जैदपुर, बाराबंकी (2) जाफर अली पुत्र मुन्ना नि0 छुलिहा पुरवा, जैदपुर, बाराबंकी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 800 ग्राम मॉर्फीन(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत मूल्य लगभग 01 करोड रूपये), 01 अदद मोबाइल फोन व 02 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया । जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी पर मु0अ0सं0–431/25 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट 1985 मे मुकदमा पंजीकृत कराते हुए विधिक कार्यवाही की गई ।

पूछतांछ का विवरण–

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण से पूछताछ की गयी तो अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि मेरे पास नशीला पदार्थ मॉर्फीन है । जिसे मैं एक तस्कर के कहने पर दादरा मोड़ अयोध्या हाईवे पर जाफर अली नामक व्यक्ति को देने आया था तभी आप लोगों द्वारा हमे पकड लिया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. फैजुर्रहमान पुत्र अब्दुल माबूद नि0 टेरा, जैदपुर, बाराबंकी।
2. जाफर अली पुत्र मुन्ना नि0 छुलिहा पुरवा, जैदपुर, बाराबंकी।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय–

दिनांक–03.09.2025 समय–03.20 बजे स्थान– दादरा मोड निकट नायरा, पेट्रोल पम्प थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण

1. 800 ग्राम मॉर्फीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 01 करोड रूपये)
2. 01 अदद मोबाइल फोन ।
3. 02 अदद मोटर साइकिल ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण– ए0एन0टी0एफ0 आपरेशनल यूनिट लखनऊ

1– निरीक्षक दर्शन यादव
2– हे0का0 संगम पटेल
3– हे0का0 दिनेश सिंह
4– हे0का0 मो0 खालिद खान
5– का0 राजन कुमार

सहयोगार्थ चौकी रसौली, थाना–सफदरगंज, बाराबंकी की टीम–

1– उ0नि0 श्री अजहर खान

2– हे0का0 अम्बल सिंह

3– का0 हरीकान्त यादव

जनपद शामली/झिंझाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **चोरी के तार**
- **01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनॉकः 03.09.2025 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम उदपुर के पास चौसाना रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आरिफ उर्फ काला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, चोरी के तार, 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद शामली के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आरिफ उर्फ काला निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–चोरी के तार।

3–01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना भोजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **लूट के 6500/– रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनॉकः 03/04.09.2025 की रात्रि थाना भोजपुर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलौता फजलगढ़ चौराहा पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त देवेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, लूट के 6500/– रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना भोजपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेन्द निवासी शाहपुर कोटररा थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–लूट के 6500/– रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट आगरा/थाना डौकी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 03.09.2025 की रात्रि थाना डौकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कौलरा झील के पास चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश

ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त करू उर्फ सत्यभान घायल हो गया,जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना डौकी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डौकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—करू उर्फ सत्यभान निवासी ग्राम सूरजपुर थाना चित्राहा कमिश्नरेट आगरा।

जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **चोरी के 01 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04.09.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिहाली मार्ग पर मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुनील घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, चोरी के 01 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना फतेहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुनील निवासी टेकुवा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1–01 मोटर साइकिल।

2–चोरी के 01 हजार रूपये नगद।

3–01 मोटर साइकिल।

<u>जनपद कुशीनगर/थाना कसया</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख रूपये कीमत की चोरी के 03 जनरेटर आदि**
- **घटना में प्रयुक्त 01आईसर ट्रक बरामद**

दिनांक 04.09.2025 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–इमरान 2–अफरोज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 14 लाख रूपये कीमत की चोरी के 03 जनरेटर आदि, घटना में प्रयुक्त 01आईसर ट्रक बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10/11.09.2025 को थाना कसया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसकी सम्बन्ध में थाना कसया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद जनरेटर आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त इमरान के विरूद्ध जनपद रामपुर,कुशीनगर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त अफरोज के विरूद्ध जनपद रामपुर, सम्भल, बिजनौर,कुशीनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी हमीरपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

2–अफरोज निवासी हमीरपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

बरामदगी

1–लगभग 14 लाख रूपये कीमत की चोरी के 03 जनरेटर आदि।

2–घटना में प्रयुक्त 01आईसर ट्रक।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.09.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्यू पैरामउंट कॉलोनी गेट नम्बर–03 के पास से 02 अभियुक्तों 1–मारूफ 2–महताब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 02 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.09.2025 को थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मारूफ निवासी ग्राम सिरसली थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

2–महताब निवासी ग्राम खजूरवाला थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख रूपये नगद।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढ़ाना

- **05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 485 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2025 को थाना बुढ़ाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेरठ करनाल हाईवे पर छंगा होटल के पास से 02 अभियुक्तों 1–राहत उर्फ कासिम 2–अरशद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 485 ग्राम अवैध स्मैक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राहत उर्फ कासिम शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 05 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहत उर्फ कासिम निवासी आतिश बाजान मीरनपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

2–अरशद निवासी आतिश बाजान मीरनपुर थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–लगभग 10 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 485 ग्राम अवैध स्मैक आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना मूसानगर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **06 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 04.09.2025 को थाना मूसानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम क्योटरा बांगर नदी के किनारे जंगल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित

कर रहे 02 अभियुक्तों 1–जाहर सिंह 2–महेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 06 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मूसानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जाहर सिंह निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

2–महेन्द्र निवासी ग्राम ट्योंगा थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–06 जीवित, 01 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कोतवाली पडरौना

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त 02 ट्रक बरामद**

दिनांक 03.09.2025 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–अजीत 2–दीपक 3–मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त 02 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पडरौना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजीत निवासी ग्राम बईयापुर उर्फ बंयापुर थाना सदर जनपद सोनीपत हरियाणा।

2–दीपक निवासी ग्राम बाजीतपुर सबौली थाना कुंडली जनपद सोनीपत हरियाणा।

3–मनीष निवासी ग्राम चमारिया थाना सदर जनपद रोहतास हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 20 लाख रूपये कीमत के 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त 02 ट्रक।

- **जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–वीरेन्द्र 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना विशेश्वरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना विशेश्वरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामकुबेर को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना मलवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय करन को आजीवन कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना सासनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सासनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व ¾

डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विवेक को आजीवन कारावास व 04 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना मण्डी धनौरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना मण्डी धनौरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त उस्मान को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना हाथरस जंक्शन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस जंक्शन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भोला उर्फ देवेन्द्र कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————